न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्रं. रिव्यू-1048-पीबीआर-16

उमाविकास समिती
द्वारा अध्यक्ष आश्विनी श्रीवास्तव आयु वयस्क,
निवासी किस्ट्रल आईडियल सिटी
खजूरी कला भोपाल म.प्र. ------ पुर्नावलोकनकर्ता

विरुद्ध

01. मुनिन्द्र भारद्वाज
10 अम्बेडकर कालोनी पुराना सुभाष नगर भोपाल
02. जनसहयोग गृह निर्माण सहकारी समिती मर्यादित,
द्वारा अध्यक्ष हरीश शर्मा,आयु वयस्क
निवासी जी 1 पंडित दीनदयाल परिसर
ई 2 अरेरा कालोनी भोपाल
03. सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिती
मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष पंजीयक
सहकारी समिती,
पुराना आर.टी.ओ. के सामने भोपाल ---- उत्तरदातागण

पुर्नावलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 भू राजस्व संहिता

पुर्नअवलोकनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है कि

यह कि पुर्नअवलोकनकर्ता को ज्ञात हुआ हैं कि उत्तरदाता 2 व 3 के द्वारा प्रकरण कं. 987 पी बी आर /07 प्रस्तुत किया जो कि खजूरी कला स्थित भूमि जो कि खसरा कं. 10/1, 12/1, 11/1/2/2/2/4/2 का ग्राम खजूरी कला तह. हुजूर जिला भोपाल के संबंध मे नामांतरण हेतु आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे दुखी एवं त्रस्त होकर यह पुर्नअवलोकन ठोस तथ्यो पर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1048–पीबीआर/16 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–04–2016	आवेदक अधिवक्ता को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 987–पीबीआर/07 में पारित आदेश दिनांक 08–12–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	